(b) As regards corrective steps for proper and full utilisation of financial assistance for 1996-97 under Rural Development Programmes, the Centre have issued under IRDP guidelines which specify quarterly targets for utilisation of funds to enable proper & full utilisation of assistance. The State Governments have been advised to send timely proposals to enable the centre to release its share of funds at an early date to facilitate better utilisation. In the meeting of State Secretaries held on 11.7.96 to accerlerate the implementation of ARWSP for proper planning and close monitoring for full utilisation of available funds, the State Governments were advised that excess unutilised amount beyond 25% of the allocation will be deducted at the time of release of last instalment for the year.

Under Rural Development Programmes, the funds are released to States/UTs on the basis of progress made of utilisation of funds under the schemes. The States/UTs having large unspent balance are not provided further funds. The States/UTs have been requested for taking suitable steps for expenditious utilisation of the already released funds so that further financial assistance is extended to them in time.

केन्द्रीय मंत्रियों के लिए अधिक स्टाफ रखे जाने पर प्रतिबन्ध

1283. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) केन्द्रीय मंत्रियों के स्टाफ में स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों को रखने पर कब प्रतिबंध लगाया गया था;

(ख) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों ने स्टाफ की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था तथा किन-किन मंत्रियों के अनुरोधों को स्वीकार किया गया था या अस्वीकार किया गया; और

(ग) उन मंत्रियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना, स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों को अपने स्टाफ में रखा था?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालसुब्रमण्यन): (क) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के अनुज्ञेय पदों की संख्या तथा उनके स्तर अनुबंध में दर्शाए गए हैं **(देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं॰ 34)**। मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे मानकों का पालन करें तथा वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के लिए कोई अतिरिक्त पद सृजित न करें। सामान्यत: स्वीकृत पद संख्या के भीतर पदों के समायोजन की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब स्वीकृत पद संख्या में से कुछ पद अभ्यर्पित कर अनुरूपयोजी बचत उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में यह सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) उप मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (1.1.86 से यथा-संशोधित)	अभियुक्तियां
निजि सचिव	1	(3700-5000 रु॰) (4500-5700 रु॰)	
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000-3500 रु॰)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'क' तथा 'ख' (संविलित) में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	(1640-2900 रु॰)	के॰स॰आश॰ सेवा के ग्रेड 'ग' में शामिल।
लिपिक	1	(950-1500 रु॰)	के॰से॰ लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
ड्राइवर	1	(950-1500 रु॰)	
जमादार	1	(750-1025 रु॰)	
चपरासी	1	(750-940 रु॰)	
	कुल 7		